जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 95 प्रभात कोटा, शुक्रवार 17 जनवरी, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

अमेरिका की ''शेयर रिसर्च कम्पनी'' हिंडनबर्ग ने अचानक कामकाज बंद करने की घोषणा की

हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट दी थी कि अडानी ग्रुप भारी कर्जे में डूबा हुआ है तथा इस तथ्य को ग्रुप ने अपनी बैलेंस शीट में परिलक्षित नहीं किया है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जनवरी। विवादास्पद इक्विटी कम्पनी हिंडनबर्ग अचानक बंद हो गई है। फर्म के संस्थापक और शॉर्ट सैलर ने कहा कि यह उनकी जिंदगी एक अध्याय मात्र है एक मात्र अध्याय नहीं है।

हिंडनबर्ग के बंद होने के तुरंत भारत में राजनैतिक मोड़ किया गया। जहां सत्तारुढ़ भाजपा ने कहा कि हिंडनबर्ग जैसी कम्पनियां ''इकोनॉमिक टैररिस्ट'' है जो भारत में वैल्यू को नष्ट करने के लिए काम करती है वहीं कांग्रेस ने कहा कम्पनी के बंद होने का अर्थ यह नहीं है कि सम्बंधित समूह (अडानी) पर लगे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के सारे आरोप भी खत्म हो गए हैं।

हिंडनबर्ग भारत में उस समय सुर्खियों में आया जब उसने अडानी ग्रुप ऑफ कम्पनीज के बारे में रिपोर्ट दी और बताया कि इस समूह पर भारी कर्ज है जिसे बैलेंस शीट में ठीक से नहीं दिखाया गया है। अन्य आरोप भी है जैसे सरकारी ठेके और स्वीकृतियां पाने के लिए सरकारी अफसरों को रिश्वत देना।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका में अडानी ग्रुप के मामलों की जांच शुरु हुई थी क्योंकि इस समूह ने अमेरिका में फंड जुटाया था। अमेरिकन प्रशासन ने। गौतम अडानी व उनके भतीजे की गिरफ्तारी के आदेश तक निकाल दिए थे। अडानी ग्रुप को स्थिति सुधारने के लिए अमेरिका से एकत्रित कुछ फंड भी लौटाना पड़ा था।

- हिंडनबर्ग ने इस तथ्य को अपनी रिपोर्ट में उजागर करते समय अडानी ग्रुप पर यह भी आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी है, सरकार से अपने उद्योग के लिये कांट्रेक्ट व क्लियरैंसेज़ प्राप्त करने के लिये।
- हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स की कीमत में भारी अवमूल्यन हुआ था तथा अरबों डॉलर की निवेशकों की पूँजी डूब गई थी और अमेरिकी सरकार ने अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी ''वॉरंट'' भी निकाला था।
- पर, अभी हाल ही में हिंडनबर्ग कम्पनी पर अमेरिकी सरकार काफी निगाहें रखी हुई थी। कम्पनी पर, शेयर मार्केट पर अपनी रिपोर्टों के आधार पर, कम्पनी के ''शेयर'' की कीमत में ''मैनिपुलेशन'' (कृत्रिम उतार-चढ़ाव) करने का आरोप था, शायद सरकार से प्राप्त नोटिसों के कारण हिंडनबर्ग ने अपना काम बंद करने का निर्णय लिया है।
- अडानी ग्रुप में इस खबर से काफी हर्षोल्लास का माहौल है, परन्तु, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने हर्षोल्लास पर तीखी टिप्पणी की कि इस खबर से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों से ग्रुप मुक्त हो गया है।

बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बाद भी इस कम्पनी को भारी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले गौतम अडानी विश्व के सबसे अमीर लोगों में से एक थे यहां तक कि मुकेश अम्बानी से भी आगे थे पर रिपोर्ट आने के बाद वे इस लिस्ट के बहुत नीचे आ गए।

रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयरों के दाम गिर गए। निवेशकों को भारी नुकसान हुआ लेकिन बाद में शेयर के दाम फिर से बढ़कर पहले वाले स्तर पर पहुंच गए।

इस बीच हिंडनबर्ग ने ''शॉर्ट सैलिंग'' की। अर्थात् जब एक निवेशक को शेयर के दाम गिरने का पूर्वाभास होता है और दाम गिरने की उम्मीद में वो शेयर बेच देता है। इन निवेशकों को ''शॉर्ट सैलर्स'' कहते हैं।

अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्टों से बिल्कुल ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी और साधारण निवेशकों को बहुत नुकसान हुआ था। तथापि, युनाइटेड स्टेट्स में इस रिसर्च फर्म के विरुद्ध जांच

(शेष पृष्ठ 3 पर)

दिल्ली वालों को आठवें पे कमीशन का तोहफा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जनवरी। मोदी सरकार द्वारा आज आठवें वेतन आयोग गठित करने की घोषणा किया जाना चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का प्रत्यक्ष उल्लंघन है अथवा नहीं- यह प्रश्न आज राजनैतिक रुप से सचेत क्षेत्रों में पूछा जा रहा है। ज्ञातव्य है कि यह वेतन आयोग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशनरों के भत्तों में संशोधन करेगा।

जहाँ सरकार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशनरों के भत्तों को संशोधित करने के लिये 8 वें वेतन आयोग के गठन के अपने निर्णय को एक बड़ा कदम बताते हुये, उसका ढ़ोल पीट रही है, वहीं केन्द्रीय राजधानी की राजनैतिक रुप से जाग्रत सिविक सोसायटी इस घोषणा को उन सरकारी कर्मचारियों से किया गया एक बहुत बड़ा वादा बता रही है, जो कर्मचारी अगले माह होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदाता हैं।

- केन्द्र सरकार के इस कदम से केन्द्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनमें से अधिकांशतः दिल्ली के वोटर हैं। विपक्ष सरकार की इस घोषणा को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी

(शेष पृष्ठ 3 पर)

'प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरुरी है'

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में स्पष्ट कहा

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जनवरी। अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित मामलों में अपने दुराग्रह को अलग रखते हुये, कांग्रेस ने गुरुवार को स्वयं को उन पार्टियों, जिनमें एआईएमआईएम तथा आरजेडी भी शामिल हैं, के साथ जोड़ दिया, तथा उन याचिकाओं के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, जिन याचिकाओं में ''प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

- याचिका, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दायर की है। अब कांग्रेस भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और आरजेडी के साथ शामिल हो गई है।
- यह याचिका दायर कर कांग्रेस खुलकर अल्पसंख्यकों के पक्ष में आ गई है, जबकि अब तक पार्टी का रुख अल्पसंख्यकों के लिए कुछ ढुल-मुल सा रहता था।
- सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं, राजद, ओवैसी और अब कांग्रेस ने इन याचिकाओं के खिलाफ प्रार्थना पत्र दायर किए हैं।

जैसा कि राष्ट्रदूत पहले बता चुका है। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने आज याचिका दायर की, जिसमें जोर देते हुये कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय जनता के आदेश को प्रदर्शित करता है तथा साम्प्रदायिक समरसता बनाये रखने तथा भारतीय धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति की पुष्टि करता है।

पिछले कुछ महीनों में, दक्षिणपंथी संगठनों और व्यक्तियों ने इस अधिनियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की हैं। किन्हीं अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में जोर देते हुये कहा है कि यह अधिनियम, पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति को 15 अगस्त, 1947 वाली स्थिति रखकर, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों के विरूद्ध भेदभाव करता है, इसमें बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि स्थल एकमात्र अपवाद है।

सर्वोच्च न्यायालय की स्पेशल बैंच, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन शामिल थे, ने 12 दिसम्बर के अपने निर्णय में पूरे देश की अदालतों को निर्देश दिये थे कि वे इस प्रकार के नये केसों पर विचार नहीं करें तथा पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र सुनिश्चित करने के लिये सर्वे के आदेश नहीं दें। इस आदेश की पृष्ठभूमि में हिन्दू ग्रुपों के ऐसे केसों में जबरदस्त बढ़ोतरी थी, जिनमें मस्जिदों के सर्वे की माँग की गई थीं। इन मस्जिदों में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद तथा मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश से इस प्रकार के करीब 18 केसों में कार्यवाही रूक गई तथा इसके कारण साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक तनाव उभर कर सामने आ गये।

कांग्रेस ने अपनी इस याचिका में दक्षिणपंथी ग्रुपों के दावों का विरोध किया है तथा कहा है कि यह अधिनियम किसी धार्मिक समुदाय का पक्ष नहीं लेता, बल्कि समानता को पोषित-प्रोत्साहित करता है। ''यह सभी समुदायों पर समान रूप से लागू है तथा यह सुनिश्चित करता है कि किसी ग्रुप का नुकसान न हो तथा किसी ग्रुप के साथ विशेष व्यवहार नहीं

(शेष पृष्ठ 3 पर)

स्पेस डॉकिंग क्षमता हासिल करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना

इसरो की अदुभुत उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी

श्रीहरिकोटा, 17 जनवरी। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाकर विश्व के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गुरुवार सुबह दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही अमेरिका, रूस, चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया। यह प्रौद्योगिकी भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं जैसे चंद्रमा पर भारतीय मिशन, चंद्रमा से नमूने लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) का निर्माण और संचालन आदि के लिए जरूरी है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गुरुवार को ''स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट'' (स्पेडेक्स) के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक ''डॉकिंग'' की। इसरो ने ''एक्स'' पर कहा, ''भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सुप्रभात भारत, इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने ''डॉकिंग'' में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस क्षण का गवाह बनकर गर्व महसूस हो रहा है।''

इससे पहले 12 जनवरी को इसरो ने उपग्रहों को ''डॉक'' करने के परीक्षण के तहत दो अंतरिक्ष यान को तीन मीटर की दूरी पर लाकर और फिर सुरक्षित दूरी पर वापस भेजा था। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को 'स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट' (स्पेडेक्स) मिशन की सफलतापूर्वक शुरूआत की थी। इसरो ने रात 10 बजे

- अंतरिक्ष में जब दो ऑब्जैक्ट एक साथ आते हैं और जुड़ जाते हैं, उसे डॉकिंग कहते हैं। अब तक यह क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी, अब भारत के पास भी है।
- इसरो ने 30 दिसम्बर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपैरिमैंट की शुरुआत की थी और अंततः इस प्रयोग में सफलता हासिल कर ली है।
- भारत 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन शुरु करना चाहता है और उसके लिये यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के मंडल प्रमुख की गिरफ्तारी का वॉरन्ट

जयपुर, 16 जनवरी। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के मंडल प्रमुख अब्दुल कामरान सहित रितिका जैन व आदित्य बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरन्ट जारी किए हैं और आरोपियों को 10 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। आयोग ने वॉरन्ट तामील करवाने की जिम्मेदारी जयपुर पुलिस कमिश्नर को दी है।

- जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रार्थी चांद देवी को एक लाख रूपए देने के आदेश का पालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर ये आदेश दिए।

आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने यह निर्देश हसनपुरा निवासी चांद देवी के अवमानना प्रार्थना पत्र पर

(शेष पृष्ठ 3 पर)

कर्नाटक कांग्रेस में फिर से नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा गरमाया

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की खींचतान का असर पार्टी नेताओं की बयानबाजी में दिखने लगा

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जनवरी। कर्नाटक में कांग्रेस उसी काम में जुट गई है, जिसमें वह माहिर है, यानि की अन्तर्कलह और पद की लड़ाई। दिल्ली का नेतृत्व स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है तथा देश की जनता में अपनी प्रतिष्ठा की वापसी की लड़ाई के लिये तैयार हो रहा है।

बजाय इसके कि एक समृद्ध, प्रगतिशील और उदीयमान राज्य में जनता के सामने एक आदर्श सरकार का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता, कांग्रेस का प्रांतीय नेतृत्व बँटा हुआ प्रतीत हो रहा है तथा एक-दूसरे से लड़ रहा है और यह एक ऐसी स्थिति है, जिसका फायदा उठाने के लिये भाजपा सदैव तैयार रहती है तथा अपना नैरेटिव बनाने के लिए कांग्रेस की कलह को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का मौका कभी नहीं चूकती है।

इसे कांग्रेस की एक खास उपलब्धि ही कहा जायेगा, जब उसकी स्थिति बहुत खराब थी, तब भी उसने कर्नाटक को भाजपा से छीन लिया। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, जो लम्बे समय से ज्ञान और आई.टी. का हब बना हुआ है, भारत का जीसीसी सैन्टर तथा सॉफ्टवेयर का पावर हाउस माना जाता है।

नेतृत्व के लिये मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया तथा उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच की गहन कलह इस कांग्रेस सरकार की प्रवृत्ति बन गई है और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही नेता केन्द्रीय पार्टी नेतृत्व के प्रिय हैं। वास्तविकता यह है कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी आंतरिक खींचतान से भरी हुई है तथा नेतृत्व परिवर्तन की बातें राज्य के स्थानीय अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर नियमित रूप से आती रहती हैं। यही

- कांग्रेस नेतृत्व की स्थिति बड़ी अटपटी हो गई है, क्योंक सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार दोनों ही ताकतवर नेता हैं और आलाकमान इनमें से किसी को भी नाराज़ नहीं कर सकता है।
- पार्टी के नेता परमेश्वर ने डी.के. शिवकुमार के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बने रहने पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें एक पद छोड़ देना चाहिए।
- स्थानीय मीडिया भी कांग्रेस के इन बयानों को तूल दे रहा है और भाजपा ने कहना शुरु कर दिया है कि कांग्रेस के नेता पद के लिए लड़ते रहते हैं, उन्हें प्रदेश की कोई फिक्र नहीं है।

(शेष पृष्ठ 3 पर)